न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5801/2003/चित्तौडगढ

इब्राहिम पुत्र दाऊद जाति मुसलमान निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ जरिये मुख्त्यारखास कयूम खां पिता मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ

....अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1. मोहम्मद पिता खाजू खां जाति मुसलमान निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौडगढ

.....प्रत्यर्थी/वादी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अजीतसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री वाई.डी.शर्मा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 06–01–2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील सं. 89/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा ग्राम गंगरार के पुराने खसरा संख्या 37 रकबा 2 बीघरा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 140 रकबा 0–27 हैक्टर व खसरा संख्या 141 रकबा 0–19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0–46 हैक्टर भूमि के संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध

पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा पेश कर कथित किया कि वाद/वादी अपास्त किया जावे। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद में अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए वादीगण के वाद को आज्ञा दिनांक 02–08–2000 से वादी के वाद को सिद्ध होना कथित करते हुए डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के साथ पारित किया गया कि प्रश्नगत रकबा आराजी संख्या 140 व 141 से इब्राहिम पिता दाऊद का 1/3 हिस्सा सेटलमेंट के दौरान बिना किसी वैध दस्तावेज के आधार पर किया गया है जो गलत होने के कारण उक्त अंकन को राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादी के नाम किये जाने का आदेश मु. भूरी बेवा नूरा का बख्शीशनामा दिनांक 22–05–1961 अनुसार दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2003 से सारहीन होना घोषित करते हुए खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में अन्तिम बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उनका कहना है कि बंदोबस्त की कार्यवाही की कार्यवाही में प्रश्नगत रकबे 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी का कब्जा माना गया है। उक्त कार्यवाही से यह प्रदर्शित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व ही दाऊद, बहादुर और रहमान द्वारा उक्त भूमि मांगीलाल डांगी से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। जिस पर मु0 भूरी का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में श्रीमती भूरी बेवा नूरा व मांगीलाल तथा वादी के समस्त हक व अधिकार तथा स्वत्वों का उक्त आराजियात

से धारा 63 काश्तकारी अधिनियम के तहत अवसान हो चुका है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2003 एवं सहायक जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–08–2000 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश हस्तगत द्वितीय अपील को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। उनका कहना है कि मांगीलाल प्रश्नगत रकबे का खातेदार नहीं था, इसलिए उसे उक्त आराजी को विक्रय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। इस कारण मामले में विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के वाद को साबित होना मानने में कोई भूल नहीं की है। उनका तर्क है कि बंदोबस्त विभाग ने प्रश्नगत रकबे के इन्द्राजों में परिवर्तन किया है, जबकि बंदोबस्त विभाग को ऐसे इन्द्राजात को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 के अनुसार प्रश्नगत रकबा मोहम्मद पिता खाजूखां की खातेदारी में दर्ज है। उनका यह भी तर्क है कि मोहम्मद पिता खाजूखां के पक्ष में दिनांक 22–05–1961 को पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित होने के कारण वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। इसके अतिरिक्त आराजी मांगीलाल की होने के बाबत किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त समस्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेपअ अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील अपास्त की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. रेकार्ड का विधि की दृष्टि से परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जमाबंदी सम्वत 2023–2026 के अनुसार आराजी मु0 भूरी बेवा नूरा की खातेदारी में दर्ज है। मु. भूरी द्वारा मोहम्मद पिता खाजूखां के पक्ष में दिनांक 22–05–1961 को पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित किए जाने के कारण प्रश्नगत आराजी का कानूनी हकदार एवं खातेदार मोहम्मद पिता खाजूखां होना पाया जाता है। प्रतिवादी द्वारा सम्पादित विक्रय विलेख 400/– में क्रय किया जाना प्रकट होता है, जो कि अपंजीकृत होने के कारण उसका विधि में कोई महत्व नहीं है। जहां तक मांगीलाल द्वारा विक्रय करने का प्रश्न है उक्त आराजी मांगीलाल की खातेदारी का होने बाबत कोई राजस्व अभिलेख न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। दूसरी ओर वादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार आराजी मांगीलाल की खातेदारी की नहीं होकर मु. भूरी की खातेदारी में होना पाया जाता है। इस कारण मांगीलाल किया गया विक्रय विलेख कानूनन मान्य नहीं है। उक्त विलेख पंजीकृत दस्तावेज भी नहीं होने के कारण ऐसे दस्तावेजों से किसी एक पक्ष के समर्थन में खातेदारी अधिकारों का हक होना निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

8. जहां तक बंदोबस्त विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का बिन्दु है, उक्त प्रार्थना पत्र रजाक मोहम्मद द्वारा पेश किया जाना प्रतीत होता है, इससे इब्राहिम का कब्जा होने के संबंध में अपीलार्थी की सहमति होना नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2046–2049 के अनुसार इब्राहिम पिता दाऊद 1/3, मोहम्मद पिता खाजू 2/3 खसरा संख्या 140 व 141 का अंकन है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2031–2034 के अनुसार खसरा संख्या 27 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा मोहम्मद पिता खाजू मुसलमान के नाम खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त के रेकार्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि खातेदारी भूरी बेवा नूरा का अंकन है तथा कालम संख्या 7 में मांगीलाल का नाम दर्ज है परन्तु मांगीलाल को कभी खातेदारी हक प्राप्त हुए हो, इस बाबत किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। सारांशतः यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त है तथा वादी द्वारा मूल वाद को समुचित साक्ष्य से प्रमाणित कराया है। अतः हमारी विनम्र राय में मामले में सहायक जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा

वादी के वाद को स्वीकार करते हुए डिक्री करने में किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। प्रकरण का विधि के दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने हस्तगत द्वितीय अपील में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

9. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत कायम रखा जाना समीचीन प्रतीत होता है।

11. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2003 एवं सहायक जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–08–2000 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य